न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बुनकर, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 130 /2022 (Bank Case)

केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाई0 लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– 502, टॉवर–ए, पैनिनसुला बिजनेस पार्क, लोवर पारेल, मुम्बई–400013 तथा क्षैत्रिय कार्यालय–प्लॉट नं. 13, 2nd फ्लोर, प्रताप नगर, खातीपुरा रोड, महाराजा होटल वबार, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान 302021 – **प्रार्थी कम्पनी**

बनाम

1 श्री छितर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह (ऋणी)
पता– माता मंदिर के पास, रोलाना, कोटा (राज.)–325601
अन्य पता– खसरा नं. 618, ग्राम रोलाना तहसील– सांगोद, कोटा

2 श्रीमती सुनीता कंवर पत्नि श्री छितर सिंह (सहऋणी)
पता– माता मंदिर के पास, रोलाना, कोटा (राज.)–325601
अन्य पता– खसरा नं. 618, ग्राम रोलाना तहसील– सांगोद, कोटा

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18-08-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ''केपरी ग्लोबल हाउ0 फाई0 लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– 502, टॉवर–ए, पिनीनसुला विजनेस पार्क, लोवर पारेल, मुम्बई –400013 तथा क्षैत्रिय कार्यालय–प्लॉट नं. 13, 2nd फलोर, प्रताप नगर, खातीपुरा रोड, वैशाली नगर, जयपुर, (राज.) में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 22.06.2018 को 03,10,408 / – रूपये (अक्षरे तीन लाख दस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री छितर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह की अचल सम्पत्ति खसरा नं. 618, ग्राम रोलाना, ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद, तहसील– सांगोद, जिला–कोटा (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट हैं, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद द्वारा कमांक 2196, मिसल नं. 14, दिनांक 02.05.2018 से श्री छितर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह नाम जारीशुदा है। चतु:सीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य सम्पत्ति, उत्तर में– अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में– रोड है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 11.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 2,39,318 / – (अक्षरे रूपये दो लाख उन्तालीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) बकाया रकम दिनांक 21.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2021को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री छितर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह की अचल सम्पत्ति खसरा नं. 618, ग्राम रोलाना, ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद, तहसील– सांगोद, जिला–कोटा (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट हैं, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद द्वारा कमांक 2196, मिसल नं. 14, दिनांक 02.05.2018 से श्री छितर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह नाम जारीशुदा है। चतु:सीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य सम्पत्ति, उत्तर में– अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में– रोड है,** का भौतिक कब्ज़ा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 18.08..2022 को सुनाया गया।

18/8/2022

(ओ.पी.बुनकर)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)